अपील सूचना अधिकार संख्या 88/2019 (RCMS 2019/00236) पवन कुमार स्वामी पुत्र श्री भगवती प्रसाद स्वामी निवासी वार्ड नं. 18, सूरतगढ बनाम तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.09.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी पवन कुमार स्वामी स्वयं उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 08.08.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ को प्रस्तुत करके तीन बिन्दुओ की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसके द्वारा यह अपील प्रस्तुत करके लोक सूचना अधिकारी से उसे वांछित सूचना उपलब्ध करवाई करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री पवन कुमार स्वामी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2018 को प्रस्तुत करके लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचनाएं चाही थी:

1. सन 1979 से 2008 (विक्रम सवत 2036 से 2070) की ढाल वाच्च की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. जन शिकायत पोर्टल पर शिकायत नं. 061427950151 पर तहसील कार्यालय द्वारा 27.01.2017 की पोर्टल पर अपलोड की गई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि दी जाये।
3. प्रार्थी भगवती प्रसाद स्वामी पुत्र रूपराम जाति स्वामी की बरानी भूमि 25.00 बीघा की शिकायत मे गायब रिपोर्ट (27.01.2017, 26.04.2017) पर कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की गई या नही।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ ने अपने पत्रांक सू.का.अ./2018/203 दिनांक 20.08.2018 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से जवाब दिया है :

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार है:
>
> बिन्दु सं. 1 में चाही गई ढाल–बांछ की प्रमाणित प्रति सन 1979 से 2008 तक तैयार कर दी गई है प्रत्येक पृष्ठ की फीस 20 रूपये की दर से 15 पृष्ठ की राशि 300/– रूपये तथा प्रतिलिपि शुल्क 90/– रूपये कुल 390/– रूपये का संदाय कर किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते है।
>
> बिन्दु सं. 2 में सम्पर्क पोर्टल पर शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत का मूल रिकॉर्ड उसी के पास होता है। अतः रिकॉर्ड के अभाव में प्रमाणित प्रति दिया जाना सम्भव नहीं है।
>
> बिन्दु सं. 3 में प्रार्थी की शिकायत में किस प्रकार की रिपोर्ट पत्रावली में गायब होनी बताई है कि चित्रप्रति व मूल शिकायत की चित्रप्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, जिससे जांच करवाई जाकर आगामी कार्यवाही की जा सके।
>
> -sd-
> तहसीलदार (राजस्व)
> सूरतगढ़

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ ने अपने पत्रांक 63 दिनांक 02.03.2020 से इस न्यायालय को निम्नप्रकार से जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मूल सिंह बनाम तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ प्रकरण आपके न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रथम सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र पवन कुमार स्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2018 को पेश किया गया था।

बिन्दु संख्या 1 :— आवेदक को जो उसके प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में अंकित सूचना उपलब्ध थी सन 1979 से 2008 की गिरदावरी की प्रमाणित नकलें तैयार कर प्रतिलिपि शुल्क 390/— रूपये जमा कराने हेतु का0 पत्र/सू0का0अ/21018/203 दिनांक 20.08.2019 से सूचित करने पर बार—बार फोन करने पर 1 वर्ष 1 माह विलम्ब से प्रतिलिपि शुल्क जमा कराया जाकर गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर ली थी। प्रार्थी को सूचना में किसी प्रकार की देरी अथवा कठिनाई कार्यालय स्तर से नही पहुचांयी गयी है।

बिन्दु संख्या 2 :— जन शिकायत पोर्टल पर दर्ज शिकायत 061427950151 पर तहसील कार्यालय से 27.01.2017 को पोर्टल पर अपलोड की गयी। रिपोर्ट पटवारी हल्का अमरपुरा राठान द्वारा प्रकरण की पूर्ण जानकारी एवं मूल पत्रावली देखे बिना प्रार्थी से पूछकर की थी, जो कि प्रार्थी द्वारा पटवारी को गलत तथ्य बताकर रिपोर्ट करायी गयी थी, जो संपर्क पोर्टल पर अपलोड हो गयी। चूंकि पटवारी द्वारा हार्ड कॉपी जमा कराते समय सही रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें आवेदक असंतुष्ट है। उसी को आधार बना कर शिकायत कर दबाव बनाकर अपने पिता भगवती प्रसाद पुत्र श्री रूपाराम बैरागी को रोही नांगलिया में खसरा नंबर 105 में टीसी आवंटित 25 बीघा अर्थात 6.325 हैक्टेयर की खातेदारी लेना चाहता है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बिन्दु संख्या 3 :— आवेदक पवन कुमार द्वारा अंकित रिपोर्ट दिनांक 27.01.2017, 26.04.2017 के लिये कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही चाही है। जिसकी अलग से जाचं हो चुकी है। बिन्दु संख्या 2 में अंकित अनुसार आवेदक के पक्ष में रिपोर्ट नही करने से असंतुष्ट है तथा शिकायत की जा रही है।

तहसीलदार (राजस्व)
सूरतगढ़

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में बिन्दुवार उत्तर दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं का उत्तर बिन्दुवार 28.08.2018 को दिया जा चुका है,** सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर